



रक्षोपाय महानिदेशालय
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
दूसरी मंजिल, भाई वीर सिंह साहित्य सदन,
भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट,
नई दिल्ली-110001.

फा. सं. ए-19011/57/2015

दिनांक 28/09/2015

निविदा सूचना

सभी संबंध कीटनियंत्रण सेवा प्रदाताओं को सूचित किया जाता है कि रक्षोपाय महानिदेशालय केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, द्वितीय तल, भाई वीर सिंह साहित्य सदन, भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली - 110001. के कार्यालय में कीट नियंत्रण सेवाओं हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित किये जा रहे हैं। कीट नियंत्रण सेवा के ठेके हेतु नियम एवं शर्तें -

बोली लगाने वालों से निवेदन है कि वह अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे में जिसके ऊपर “ कीट नियंत्रण सेवा के वार्षिक रखरखाव ठेके संबंधी निविदा ” लिखा हो, अधोहस्ताक्षी के पास 23/10/2015 को विलंबतम 05:00 बजे तक जमा करवाएँ। निविदाएँ अगले कार्य दिवस 24/10/2015 को 11.00 बजे सुबह खोली जाएंगी। बोली दो भागों में जमा कि जानी चाहिए : तकनीकी बोली में कीट नियंत्रण के कार्य में अपनी दक्षता एवं योग्यता का प्रमाण देते कागजात संलग्न करेंगे। न्यूनतम तीन साल का कीट नियंत्रण सेवा का अनुभव अनिवार्य है। योग्यता मानदंड के समर्थन में जो भी दस्तावेज हो उसकी प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है। जिनकी तकनीकी बोली स्वीकृत की जाती है, उनही की व्यवसायिक बोली खोली जाएगी। व्यवसायिक बोली में रखरखाव के खर्च के साथ-साथ उपयुक्त नियम एवं शर्तों का विवरण होना चाहिए। बोली लगाने वाले किसी भी कार्य दिवस पर 11:00 से 4:00 बजे के बीच जगह का निरीक्षण कर सकते हैं। इस हेतु वह श्री प्रेम पाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) से संपर्क कर सकते हैं।

ठेकेदार को मुख्यतः निम्नांकित कीटों हेतु कीट नियंत्रण का कार्य करना होगा -

- 1) चूहे, गिलहरी आदि

- 2) चूहे और बोरेट
- 3) मच्छर
- 4) मक्खी एवं कीट पतंगे
- 5) कॉकरोच एवं अन्य कीट
- 6) दीमक

1. शुरुआत में ठेके की अवधि एक वर्ष होगी जो कि संतोषजनक कार्य आधार पर एक वर्ष और बढ़ा दी जाएगी।
2. ठेकेदार कमरो । गलियारों और बाथरूम को कीट रहित रखने के साथ ही साथ लकड़ी के फर्नीचर को भी कीट रहित रखने हेतु उत्तरदायी होगा। इस कार्य को ठीक से करने के लिए, सामान, मशीन एवं अनुभवी व्यक्ति को प्रदत्त करने कि जिम्मेदारी भी ठेकेदार कि होगी। प्रयुक्त कीटनाशक किसी मान्य एवं सम्मत बैंड का होना चाहिए जिससे किसी प्रकार कि स्वास्थ्य और सुरक्षा हानी न होने पाए।
3. ठेकेदार व्यापक रूप से विसंक्रमीकरण एवं चमगादड़, कॉकरोच और चूहे, गिलहरी एवं दीमक कि रोकथाम हेतु बाध्य होगा। सभी आवश्यक स्प्रे । जेल की पूर्ति एवं प्रयोग ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा।
4. कीट नियंत्रण सेवाएं नियमित रूप से एवं AMC में वर्णित सेवा के अलावा भी जब भी कार्यालय में आवश्यकता हो कराई जाएंगी।
5. नियमानुसार टी डी एस at source काटा जाएगा ।
6. इस कार्यालय के पास बिना कारण व्यक्त किए ठेके की अवधि के दौरान, उसे निरस्त का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा, यदि ठेकेदार की सेवाएं असंतोषजनक पाई गई ।
7. कार्य का भुगतान बिल के प्रस्तुत किए जाने पर और कार्य के संतोषजनक निष्पादन पर ही किया जायेगा । अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा ।

(समीर उपाध्याय)
सहायक आयुक्त
(कार्यालय प्रमुख)

प्रतिलिपि -

1. सी बी ई सी वेबसाईट
2. कार्यालय वेबसाईट
3. सूचना पट्ट।

- हिन्दी संस्करण में किसी भी तरह की त्रुटि होने पर अँग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें ।

